फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती राजकुंवर | **विपक्षी : श्रीमती मोहनकुंवर**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 117/17**

जीसीएमएस : 2017/00543

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 07.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा रेडियाखेडी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 96 पर दर्ज आराजी नम्बर 19, 22, 38, 138, 141, 153, 154, 160, 284, 285, 307, 308, 310, 311, 659/280, 661/281, 663/286 किता 17 कुल रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 33, 34 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा एवं खाता संख्या 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 134, 144, 146, 148, 149, 295, 296, 309 किता 8 कुल रकबा 6 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा मूल वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि पूर्व में संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थीया के दादाजी गमेरनाथ पिता पृथ्वीसिंह के नाम दर्ज होना प्रतीत होती है। प्रार्थीया के पिता व दादा फौत हो चुके हैं परन्तु विरासत से प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थीया द्वारा घोषणा का वाद पेश किया। इस कारण से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता हैं। वादग्रस्त भूमि को विपक्षीगण द्वारा विक्रय कर दिया जाता है तो इससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में दिनांक 25.07.2017 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित होते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा रेडियाखेडी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 96 पर दर्ज आराजी नम्बर 19, 22, 38, 138, 141, 153, 154, 160, 284, 285, 307, 308, 310, 311, 659/280, 661/281, 663/286 किता 17 कुल रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 33, 34 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा एवं खाता संख्या 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 134, 144, 146, 148, 149, 295, 296, 309 किता 8 कुल रकबा 6 बीघा भूमि के रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:44 IST
Reason: SelfAttested

…वी पुनाडिया R.A.S.)
स… कलक्टर
…O) मावली